उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

राज्य नियोजन संस्थान, (नवीन भवन) कालाकांकर हाउस,
पुराना हैदराबाद, लखनऊ–226007

पत्रांकः 22 /यू.पी.–रेरा/SOP/शिका.एडि./2019–20 दिनांकः 07 फरवरी, 2020

कार्यालय आदेश

उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) में शिकायतकर्ताओं द्वारा दर्ज शिकायतों के विवरणों में एडिटिंग किए जाने सम्बन्धी मानक प्रक्रिया (Standard Operating Procedure) का निर्धारण।

शिकायतकर्ताओं द्वारा दर्ज शिकायतों के विवरणों में एडिटिंग किए जाने सम्बन्धी मानक प्रक्रिया पर प्राधिकरण द्वारा निम्नवत निर्णय लिया गया है :–

1– ऐसे प्रकरणों में शिकायतकर्ता द्वारा सम्बंधित पीठ को प्रार्थना पत्र दिया जाएगा। पीठ की अनुमति के पश्चात प्रार्थना पत्र उ0प्र0 रेरा आई.टी. सेल को शिकायत में संशोधन हेतु फारवर्ड किया जाएगा। आई. टी. सेल द्वारा अपेक्षित संशोधन अगले कार्यदिवस तक कर दिया जाएगा और पीठ को अनुपालन आख्या उपलबध करा दी जाएगी। ऐसी शिकायतों में पीठ के स्टाफ द्वारा अगली तिथि आई0टी0 सेल की रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात ही नियत की जाएगी।

2– शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज शिकायत में अपना नाम, ई–मेल एवं मोबाइल नम्बर में परिवर्तन किए जाने सम्बंधी प्रार्थना पत्र के साथ आई.डी. प्रूफ देना अनिवार्य होगा।

3– शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज शिकायत में पता में परिवर्तन किए जाने सम्बंधी प्रार्थना पत्र के साथ अपना एड्रेस प्रूफ देना अनिवार्य होगा।

4– यदि शिकायत रेरा में अपंजीकृत परियोजना के सम्बन्ध में है और शिकायतकर्ता द्वारा प्रोमोटर/प्रोजेक्ट के नाम परिवर्तन हेतु अनुरोध किया गया है, तो ऐसी स्थिति में शिकायतकर्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में सम्बन्धित प्रोमोटर का ई–मेल, मोबाइल नंम्बर एवं पत्राचार का पता उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।

5– शिकायत में प्रोमोटर/प्रोजेक्ट के नाम में संशोधन के उपरान्त यदि यह पाया जाता है कि उसी प्रोमोटर से सम्बंधित शिकायतें उ0प्र0 रेरा में किसी अन्य पीठ में सुनवाई हेतु नियत की जाती हैं, तो पीठ द्वारा उक्त शिकायत को सम्बंधित पीठ में सुनवाई हेतु स्थानान्तरित कर दिया जाएगा।

यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

(अबरार अहमद)
सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

(1) मा. अध्यक्ष महोदय, उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण को अवलोकनार्थ कृपया।
(2) मा. सदस्यगण, उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण।
(3) वित्त नियंत्रक, उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण।
(4) तकनीकी सलाहकार, उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण।
(5) संयुक्त सचिव, उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण।
(6) उप सचिव, उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण।
(7) सहायक निदेशक सिस्टम, उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण।

(अबरार अहमद)
सचिव